

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/वि0पत्रा0-24-61/2023

पटना, दिनांक—

सुश्री प्राची प्रिया, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), सारण अंचल-1, छपरा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-05.07.2024 से 31.07.2024 तक कुल 27 (सत्ताईस) दिनों का का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित सुश्री प्रिया के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (33-27=06) (छः) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/वि0पत्रा0-24-61/2023 * 256

पटना, दिनांक- 20/01/25

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, छपरा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), सारण अंचल-1, छपरा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री प्राची प्रिया, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), सारण अंचल-1, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।